

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 2014/आश्विन 23, 1936 No. 536] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2014/ASVINA 23, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 729(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति की अविध और नामों के पैनल के चयन की रीति) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति की अवधि और नामों के पैनल के चयन की रीति) संशोधन नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन सिमिति की अविध और नामों के पैनल के चयन की रीति) नियम, 2008 के नियम 5 के उप-नियम (i) में "नियम 4 के उप-नियम (2)" शब्दों के पूर्व "योग्यता के क्रम में" शब्द जोड़े जाएंगे।

[फा. सं. 5/22/2007-सीएस]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 111(अ), तारीख 27 फरवरी, 2008 में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्या 156(अ), तारीख 6 मार्च, 2009 और सा.का.नि. संख्या 259(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2009 द्वारा संशोधित किए गए।

4098 GI/2014 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2014

- **G.S.R.** 729(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 63 read with sub-section (2) of Section 9 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Competition Commission of India (Term of the Selection Committee and the Manner of Selection of Panel of Names) Rules, 2008, namely:
- 1. (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Term of the Selection Committee and the Manner of Selection of Panel of Names) Amendment Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Competition Commission of India (Term of the Selection Committee and the Manner of Selection of Panel of Names) Rules, 2008, in sub-rule (i) of rule 5, after the words "sub-rule (2) of rule 4," the words "in order of merit" shall be added.

[F. No. 5/22/2007-CS]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 27th February, 2008, *vide* G.S.R. No.111(E) and amended *vide* G.S.R. No. 156(E), dated 6th March, 2009 and G.S.R. No. 259(E), dated 20th April, 2009.